इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी 2021—फाल्गुन 4, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्र. एफ-ए-3-37-2020-1-पांच(03).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-31-2020-1-पांच(67), भोपाल, दिनांक 05 दिसम्बर 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातु:—

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा के खंड (ii) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु जहां मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के अधीन 24 मार्च 2020 को या पूर्व ई-वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता 20 मार्च 2020 को या उसके पश्चात् समाप्त हो गई है, ऐसे ई-वे बिल की वैधता अविध को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया समझा जाएगा.''

2. यह अधिसूचना 31 मई 2020 से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2021

क्र. एफ-ए-3-37-2020-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-37-2021-1-पांच(03), दिनांक 23 फरवरी 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd February 2021

No. F A 3-37-2020-1-V(03).—In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), (hereafter in this notification referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in this department's Notification, No. F A 3-31-2020-1-V-(67), Bhopal, dated 5th December 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, in clause (ii), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that where, an e-way bill has been generated under rule 138 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 on or before the 24th day of March, 2020 and whose validity has expired on or after the 20th March, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 30th day of June, 2020.".

2. This notification shall deemed to have come into force with effect from the 31st day of May, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.